

योजना का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम.....दुर्विल.....क्षेत्रफल 6.00 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के पौधों की संख्या 12000 पौधे

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्व एवं सीमांकन	उ० हे०	-	92.00	-	552.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	उ० हे०	-	1214/-	-	7284.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) <u>24 धात्री</u>	उ० धात्री	-	242/-	-	122472.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे - खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान	उ० न०	-	7040/-	-	42240.00
5	गड्ढा खुदान (0.30X0.30 X0.45)	उ० ग०	-	570/-	-	68400.00
6	निरीक्षा बटिया बनना	उ०	-	373/-	-	2238.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	उ० पौ०	-	458/-	-	54960.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	उ० हे०	-	376/-	-	2256.00
9	अन्य कार्य	-	-	-	-	-
	योग- प्रथम चरण				योग	300402.00

द्वितीय चरण

गड्ढा भरान कार्य (0.30X0.30 X0.45)	उ० ग०	-	0.97	-	11640.00
पौधों की मूल्य	उ० पौ०	-	0.82	-	9840.00

पोध ढुलान कार्य	७० पीछ	-	5.०	-	60000.०
पोधरोपण व थालाबन्दी	७० पीछ	-	2.०	-	24000.०
निराई गुडाईव मल्लिंग (दो बार)	७० पीछ	-	2.०	-	24000.०
खाद व दवा पर व्यय	७० पीछ	-	16.०	-	1920.०
वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	१२ अ६	-	5280.०	-	47520.०
8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत					
सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	७० ई	-	282.०	-	1692.०
8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	७० ई	-	213.०	-	1278.०
8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हुतु व्यक्तियों/समितियों को प्रात्साहन देना।	७० ई	-	666.०	-	3996.०
अन्य व्यय साइन बोर्ड पोध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से गचने हुतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्क्यूमेंटेशन आदि कार्य।	७० ई	-	1021.०	-	6126.०
अन्य कार्य	-	-	-	-	-
योग द्वितीय चरण				=	148892.०

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य।	12 अ६	-	5280.०	-	63360.०
2	अन्य कार्य	२० ई	-	1161.०		6966.०
	योग।				=	70326.०

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में	12 अ६	-	5280.०	-	63360.०
---	---------------------------------------	-------	---	--------	---	---------

अनुरक्षण कार्य।	५०६	-	1161=५	-	6966.५
अन्य कार्य					
योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में	12 भाद	-	5280/-	-	63360=५
	अनुरक्षण कार्य।					
2	अन्य कार्य	५०६		1161/-		6966.५
	योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में	12 भाद	-	5280=५	-	63360.५
	अनुरक्षण कार्य।					
2	अन्य कार्य	५०६	-	1161=५	-	6966.५
	योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का पाँचवे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवे वर्ष में	12 भाद	-	5280=५	-	63360.५
	अनुरक्षण कार्य।					
2	अन्य कार्य	५०६		1161=५		6966.५
	योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में	12 भाद	-	5280/-	-	63360=५
	अनुरक्षण कार्य।					
2	अन्य कार्य	५०६	-	1161/-	-	6966.५
	योग।				=	70326.५

वृक्षारोपण का सातवा वर्ष का रख-रखाव

रोपण वर्ष के उपरान्त सातवा वर्ष में	12714	-	5280/-	63360.00
अनुरक्षण कार्य।				
अन्य कार्य	908	-	1161/-	6966.00
योग।				= 70326.00

वृक्षारोपण का अष्टम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में	12714	-	5280/-	63360.00
	अनुरक्षण कार्य।				
2	अन्य कार्य	908	-	1161/-	6966.00
	योग।				= 70326.00

वृक्षारोपण का नवम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में	12714	-	5280/-	63360.00
	अनुरक्षण कार्य।				
2	अन्य कार्य	908	-	1161/-	6966.00
	योग।				= 70326.00

वृक्षारोपण का दशम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष में	12714	-	5280/-	63360.00
	अनुरक्षण कार्य।				
2	अन्य कार्य	908	-	1161/-	6966.00
	योग।				= 70326.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत:- 519540.00

योग - 519540.00

प्रभागीय वनाधिकारी
कनक बगुला वन प्रभाग
बडकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
कोटेश्वर वन प्रभाग
बडकोट

हो /
प्रभागीय वनाधिकारी

अपर प्रमुख नन-प्रभाग

नोट:- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-168/2009-एफ0री0 दिनांक 14.2.2012 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर निर्धारित वन प्रभाग वनाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। उक्त दर में वृक्षारोपण का तीन वर्ष तक रख-रखाव प्राविधान होता है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उक्त दर में वृक्षारोपण के 07 से 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रावकलन में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्राविधान किया जायेगा।